



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज हरिमोहन बनाम ब्रह्म मु.नं.- 55/25 किस्म - T.2.
----------------	--

151 ५८ अर्ध स्वीकार मीम्य नहीं पाया जाता है। अर्ध अन्तर्गत धारा 151 ५८ अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली पूर्वानुसार पत्र तलबी दिनांक 11.7.25 को पेश है।


उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

11.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी ने मुकदमा खरमा डि प्रार्थी/वादी इस पत्रावली को भंगी चलाना नहीं चाहते हैं। वकील प्रार्थी ने इस कारण पत्रावली पर Not Pass किया। प्रार्थी वकील द्वारा किया गया Not Pass को स्वीकार किया जाकर पत्रावली में कार्यवाही इसी तरह पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फ़ैलर शुमार होकर उपपिल सफ़र हो। पत्रावली में दिनांक 10.6.25 को जारी अन्तरिम अल्थाई निर्वेधासा के प्रचलन को भी समाप्त किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)